न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु0नं0 ..... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
01.09.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 5 को आगामी पेशी दिनांक 04.10.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 116/0.2900, 134/0.1600, 137/0.2700, 138/0.3500, 187/890/0.0400, 253/0.5200, 419/1.9500, 423/0.3500, 454/0.1800, 455/0.1500, 509/0.0900, 569/0.2000, 583/0.2900, 613/0.0600, 69/0.5600, 691/1.0000, 70/0.4600 किता 17 रकबा 6.9200 है0 वाके ग्राम भोजराजका तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 के किसी भी भाग को कही रहन बय से मुन्तकिल न करे ना अबट आराजी के किसी भाग पर तामीरात करे, ना ही प्रार्थीगण को उनके 2/7 भाग से बेदखल करे, ना काश्त कार्य मे रूकावट करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोडा एक्ट पत्रावली पर प्रभावी नही होगी। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 04.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
4/10/21	[illegible] उपस्थित पाठाना। [illegible] 6.12.21 को पेश होवे।
4/10/21	प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थीगण ने [illegible] स्वामित्व [illegible] होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:01:54 IST
Reason: SelfAttested